<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>07.06.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली जोनल कार्यालय ने **डीलक्स कोल्ड स्टोरेज एंड फूड प्रोसेसर्स लिमिटेड और अन्य** के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अमित कंसल, संजय कंसल, रेखा कंसल और प्रीति कंसल से संबंधित हरियाणा के जींद जिले में स्थित 33 भूखंडों और उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली में स्थित 7 फ्लैटों के रूप में विभिन्न चल और अचल संपत्तियों, जिनकी कीमत 5.37 करोड़ रुपये है, को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कंपनियों का समूह विभिन्न प्रकार की जिंशो जैसे गेहूं, चना आदि के उत्पाद तैयार करने और व्यापार करने के व्यवसाय में लगा हुआ था। अमित कंसल और संजय कंसल डीलक्स ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ में कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे और उन्होंने अपने नाम पर फर्जी फर्म बनाई हुई थी।

ईडी ने 480 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से संबंधित सीबीआई द्वारा दर्ज 7 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर के अनुसार , प्रमोटरों ने निजी लाभ के लिए बैंक के फंड का गबन किया और इस तरह बैंकों को धोखा दिया।

ईडी की जांच में पता चला कि अमित कंसल, संजय कंसल, रेखा कंसल और प्रीति कंसल ने डीलक्स ग्रुप की कंपनियों के बैंक खाते से पीओसी को या तो अपने बैंक खातों में या फिर अपने द्वारा नियंत्रित बैंक खातों में जमा कर लिया। इसके बाद, फंड को कई स्तरों पर बांटा गया और अंततः अचल संपत्तियों में निवेश किया गया। ये अचल संपत्तियां या तो उनके अपने नाम पर या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी गई थीं।

इससे पहले ईडी ने 22.02.2021 को कई स्थानों पर तलाशी ली थी और कई डिजिटल साक्ष्य जब्त किए थे। इस मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ईडी ने 06.10.2022 को ज्ञान चंद और 01.12.2022 को दलीप जिंदल, अमरचंद गुप्ता, रामलाल गुप्ता, राज कुमार गुप्ता और संजय कंसल को गिरफ्तार किया । ज्ञान चंद को छोड़कर उक्त सभी व्यक्ति फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उक्त आरोपियों और अमित कंसल सहित अन्य व्यक्तियों के खिलाफ माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष 05.12.2022 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की गई थी। इसका संज्ञान 24.02.2023 को लिया गया है।

आगे की जांच जारी है।